महत्वपूर्ण

संख्या–698(1)/छः–पु0–9–17–31(16)/2016

प्रेषक,

देबाशीष पण्डा,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

गृह (पुलिस) अनुभाग–9 लखनऊः दिनांक 18 अप्रैल,2017

विषयः **सदर मालखाना एवं थानों के मालखानों के मालों के निस्तारण के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या–698/छः–पु0–9–16–31(16)/2016, दिनांक 18 अप्रैल,2016 एवं पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ कार्यालय के परिपत्र संख्या–डीजी–सात–एस–13(12)2015 दिनांक 8/9 मई 2016 एवं डीजी–सात–एस–13(2)/2017 दिनांक 27 मार्च,2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा सदर मालखाना एवं थानों के मालखानों में रखे गये मालों के निस्तारण के सम्बन्ध में आवश्यक निर्देश निर्गत किये गये थे। इस संबंध में अभी तक उल्लेखनीय प्रगति नहीं हुई है। इतने स्पष्ट निर्देशों एवं मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा विशेष अनुज्ञा याचिका (कि0) संख्या–2745/2002 सुन्दर भाई अम्बालाल देसाई बनाम स्टेट आफ गुजरात में पारित निर्णय दिनांक 01 अक्टूबर, 2002 में माल मुकदमाती के निस्तारण के संबंध में दिये गये स्पष्ट एवं व्यापक निर्देशों के उपरान्त भी बड़ी संख्या में माल मुकदमाती थानों एवं सदर मालखानों में भरे हुए हैं। **मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा थाना परिसरों में अनिस्तारित मालों, वाहनों एवं अन्य कूड़ा–कबाड़ पर अप्रसन्नता व्यक्त की गयी है तथा इसे शीर्ष प्राथमिकता पर शीघ्रातिशीघ्र निस्तारित करने के निर्देश दिये गये हैं।**

2– इस संबंध में मुझे आपसे निम्नवत् अनुरोध करने की अपेक्षा की गयी हैः–

(1) शासनादेश संख्या–698/छः–पु0–9–16–31(16)/2016, दिनांक 18 अप्रैल, 2016 एवं पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ कार्यालय के परिपत्र संख्या–डीजी–सात–एस–13(12)2015 दिनांक 8/9 मई,2016 तथा डीजी–सात–एस–13(2)/2017 दिनांक 27 मार्च,2017 में निर्गत निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय।

(2) थाना परिसर में रखे गये माल का अभियान चलाकर निस्तारण कराया जाय। यह अभियान 30.04.2017 से प्रारम्भ होगा और दिनांक 30.06.2017 तक चलेगा।

(3) अभियान के दौरान संबंधित वरिष्ठ अधिकारी मा0 न्यायालय से सम्पर्क कर एवं परिवहन विभाग के सहयोग व समन्वय से अनिस्तारित माल का निस्तारण सुनिश्चित कराया जाय। इसकी नित्य–प्रति थाना/सर्किल/जिला स्तर के

साथ–साथ परिक्षेत्र/ जोन स्तर समीक्षा की जाय। प्रत्येक 15 दिवस पर वीडियो कान्फ्रेन्सिग के माध्यम से शासन द्वारा कृत कार्यवाही की समीक्षा की जायेगी।

(4) आवश्यकतानुसार पुलिस अधिकारी मा0 न्यायालयों से सहयोग प्राप्त करने हेतु स्वयं सक्रिय एवं सकारात्मक पहल करें।

(5) जब तक थानों के प्रवेश द्वार एवं परिसर रखे माल आदि का नियमानुसार निस्तारण न हो जाये, तब तक ऐसे पड़े माल को तत्काल प्रभाव से थाने के पीछे उपलब्ध एवं खाली ऐसे स्थान पर रखा जाय, जहां जनसामान्य का अवागमन न हो ताकि थाने का अग्रभाग और प्रवेश क्षेत्र आकर्षक दिखाई पड़े।

(6) पुलिस महानिदेशक कार्यालय स्तर पर मालों के त्वरित निस्तारण के संबंध में अनुश्रवण हेतु वरिष्ठ पुलिस अधिकारी की अध्यक्षता में एक अनुश्रवण प्रकोष्ठ बनाया जाय, जो प्रतिदिन जनपद स्तर पर गठित समिति द्वारा कराये गये मालों के निस्तारण का अनुश्रवण करेगा।

(7) जनपद स्तर पर अपर पुलिस अधीक्षक की अध्यक्षता में एक अनुश्रवण प्रकोष्ठ बनाया जाय, जो प्रतिदिन के मालों की निस्तारण की सूचना अपने पर्यवेक्षीय अधिकारी के माध्यम से पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 को उपलब्ध करायें।

(8) जनपद स्तर पर गठित अनुश्रवण प्रकोष्ठ के समक्ष आने वाली कठिनाइयों के निराकरण हेतु स्थायी कमेटी का गठन निम्नवत किया जायेगा:–

1	जिलाधिकारी द्वारा नामित अपर जिलाधिकारी	**अध्यक्ष**
2	पुलिस अधीक्षक द्वारा नामित अपर पुलिस अधीक्षक	**सदस्य**
3	जनपदीय संयुक्त निदेशक अभियोजन/वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी	**सदस्य**
4	जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी)	**सदस्य**
5	जिला संभागीय परिवहन अधिकारी	**सदस्य**

आवश्यकतानुसार जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक द्वारा किए गये अनुरोध के क्रम में किसी भी विभाग के जनपदीय अधिकारी को सदस्य नामित कर सकते हैं।

(9) नोडल अधिकारी एवं अनुश्रवण प्रकोष्ठ के अधिकारियों के वार्षिक मंतव्य लिखने का एक आधार उनके द्वारा मालों का त्वरित निस्तारण भी होगा।

3– शासन के संज्ञान में यह तथ्य आया है कि प्रदेश के प्रत्येक जनपद में स्थित सदर मालखाना एवं प्रत्येक थाने के मालखानों में माल अत्यधिक समय से एकत्रित हैं जिनमें भारी संख्या में साइकिलें, दोपहिया वाहन,चार पहिया वाहन एवं अन्य सम्पत्तियां ऐसी भी है जिनका पुनः उपयोग हो सकता है तथा कई सम्पत्तियां ऐसी भी है जिनका मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देशों के तहत नीलामी कराकर प्राप्त धनराशि सरकारी राजकोष में जमा करायी जा सकती है। उक्त प्रक्रिया से थानों का अधिकांश स्थान जो वाहनों आदि द्वारा घिरा हुआ है, खाली हो जायेगा।

4– उत्तर प्रदेश शासन के विधायी अनुभाग–1 द्वारा निर्गत अधिसूचना संख्या–1336/79–वि–1–16–1(क)17–2016 दिनांक 19 सितम्बर,2016 जो उ0प्र0 दण्ड विधि (अपराधों का शमन और विचारणों का उपशमन) (संशोधन) अधिनियम,2016 से संबंधित है, के अनुसार भी अपराधों के माल मुकद्माती का निस्तारण सुनिश्चित कराया जाये।

5– इस संबंध में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देशों, शासन के निर्देशों, पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ कार्यालय द्वारा निर्गत परिपत्रों के अनुक्रम में तत्काल अग्रतर कार्यवाही कराने का कष्ट करें। महानिबन्धक मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद से मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुक्रम में प्रदेश के समस्त मजिस्ट्रेटों को मालों के शीघ्रता से निस्तारण हेतु कार्यवाही कराने के लिए आदेश/निर्देश निर्गत कराने हेतु अनुरोध किया गया है।

भवदीय,

(देबाशीष पण्डा)
प्रमुख सचिव।

संख्याः एवं दिनांकः उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

(1) महानिबन्धक मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
(2) प्रमुख सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी, उत्तर प्रदेश शासन।
(3) श्री रवीन्द्र विक्रम सिंह(एच0जे0एस0), मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच, लखनऊ।
(4) प्रमुख सचिव, परिवहन, उत्तर प्रदेश शासन।
(5) पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
(6) महानिदेशक अभियोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
(7) पुलिस महानिदेशक, राजकीय रेलवे पुलिस, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
(8) समस्त जोनल, पुलिस महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश(द्वारा पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0)।
(9) समस्त परिक्षेत्रीय, पुलिस उप महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश(द्वारा पुलिस महानिदेशक)।
(10) समस्त संबंधित विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष(द्वारा पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0)।
(11) समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
(12) समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश(द्वारा पुलिस महानिदेशक)।
(13) जनपदीय संयुक्त निदेशक अभियोजन(द्वारा– महानिदेशक अभियोजन)।
(14) जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी)(द्वारा जिलाधिकारी)।
(15) प्रभारी, गृह नियंत्रण कक्ष को आनलाइन निर्गमन हेतु।
(16) गार्ड फाइल हेतु।

आज्ञा से,

(मणि प्रसांद मिश्र)
सचिव।